न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्याः—02/2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़

—-स्टेट

बनाम

राजू उर्फ राजा उर्फ राजेश पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 16, अम्बेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़।

—-गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

उपस्थितः—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार गौड़ अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय दिनांकः—28.10.2021

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल राजू उर्फ राजा उर्फ राजेश पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 16, अम्बेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है एवं जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल सट्टा की खाईवाली कर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढावा मिल रहा है। कस्बा हनुमानगढ़ टाउन के लोग इससे काफी भयभीत रहते है। गैरसायल को पर्ची का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते है। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध निम्न अभियोग रजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	11/05.1.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
2	15/06.1.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
3	128/13.3.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
4	141/16.3.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
5	155/23.3.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
6	241/07.5.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
7	262/13.5.15	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
8	107/08.2.18	13 आरपीजीओ	चालान	जैर तजबीज
9	131/19.2.18	13 आरपीजीओ	चालान	जैर तजबीज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

गैरसायल राजू उर्फ राजा उर्फ राजेश पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 16, अम्बेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर हल्फनामा पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के वकील ने हल्फनामा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. पब्लिक गैंबलिग ऑर्डिनेंस के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा सन 2015 व 2018 में दुर्भावना से प्रेरित होकर रंजिशवश किये गये थे। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह जीवन–यापन कर रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा वार्ड पार्षद, नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हल्फनामा इस आश्य का प्रस्तुत किया कि मेरे खिलाफ धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमे 2018 तक हुये थे जो प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा मुझ पर जुर्मानाकारित कर निस्तारण हो चुके है। उक्त मुकदमों के बाद मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। सन 2018 से मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा हूं व शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा हूं। अब मुझसे किसी प्रकार की सामाजिक शांति भंग होने की आशंका नहीं है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लुंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रूख अपनाते हुए इसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) में वर्णित अपराध कारित किये है जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को 100–100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2015, 2018 में दर्ज किये गये है इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल बाबू पुत्र टेकचंद ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन–यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा खारिज़ किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official